

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DIRECTORATE OF EDUCATION: SCHOOL BRANCH
OLD SECRETARIAT: DELHI-110054

No. F. DE.23 (399)/Misc./Sch.Br./2018/102

Dated: 19/01/2018

CIRCULAR

Sub: - Celebration of Republic Day-2018.

Preamble is the soul of the constitution. Following the preamble in letter and spirit will lay the foundation of a value based society and welfare state, as enshrined in our constitution.

Therefore, all the Heads of Govt., Govt. Aided, Unaided Recognized Schools of Directorate of Education as well as MCDs, NDMC & DCB Schools may comply with the following guidelines to celebrate this Republic Day.

- On 25th January, 2018, the Heads of Schools will read out the message of the Hon'ble Deputy Chief Minister in the presence of the students & staff members and subsequently, will also read the preamble of the constitution of India together, in the assembly.
- Further, during the first period, there will be discussion in all the classes on the vision of the Indian Society as mentioned in the Preamble of the Constitution. Subject teachers to whom the first period is assigned will come prepared to conduct a knowledgeable discussion with students about the Preamble in their classes on 25th January, 2018.

Encls: (1) Preamble of The Constitution of India.

(2) Message of Hon'ble Dy. Chief Minister.

A. Jain
19.1.18

Addl. DE (SCHOOL)

All Heads of Govt., Govt. Aided, Unaided Recognized Schools under DOE, MCD, NDMC & DCB Schools through DEL-E

No. F. DE.23 (399)/Misc./Sch.Br./2018/

Dated:

Copy to:-

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. Director of Education (East, North & South MCD), Chairman, NDMC & CEO (DCB).
4. All RDEs to observe the compliance of the above.
5. DDEs (District/Zone) to ensure compliance and to submit the report, with relevant photos.
6. OS (IT) to please paste it on the website.
7. Guard file.

A. Singh
19/01/2018

DDE(SCHOOL)

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक ¹[संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य] बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त कराने के लिए,
तथा उन सब में

व्यक्ति की गरिमा और ²[राष्ट्र की एकता
और अखंडता] सुनिश्चित करने वाली बंधुता

बढ़ाने के लिए

दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवम्बर, 1949 ई० (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो
हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं ।

¹ संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

² संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 2 द्वारा (3-1-1977 से) "राष्ट्र की एकता" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

THE CONSTITUTION OF INDIA

PREAMBLE

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a ³[SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity;

and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the ⁴[unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

³ Subs. by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, s. 2, for "SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC" (w.e.f. 3-1-1977).

⁴ Subs. by s. 2., ibid., for "unity of the Nation" (w.e.f. 3-1-1977).



मनीष सिसोदिया
MANISH SISODIA



सत्यमेव जयते

उप मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट,
नई दिल्ली-110002

Deputy Chief Minister, GNCTD
Delhi Secretariat, I.P. Estate,
New Delhi-110002

प्यारे बच्चो,

आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पर्व आपके लिए विशेष होने जा रहा है। इस मौके पर हम सब अपने 'गणतंत्र की आत्मा' से रूबरू होने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गणतंत्र की आत्मा हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। अगर हम थोड़ा भी गौर से पढ़ें तो ये महज संविधान की प्रस्तावना में लिखे कुछ शब्द नहीं बल्कि एक सपना है कि हम भारतीय लोग कैसे जीना चाहते हैं। धरती के किसी भी कोने में, किसी भी देश में मानव जाति के एक साथ रहने के लिए इससे सुंदर सपना नहीं देखा गया।

हालांकि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो महसूस करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भारत और भारत के लोगों के लिए देखा गया सपना पूरा होना अभी बाकी है। कहीं-कहीं तो हम इससे भटके भी हैं। हमें ये स्वीकारने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम अभी *संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य* बनने की मंजिल से अभी दूर हैं क्योंकि अभी तक हम अपने *समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की व्यवस्था* देने में व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हुए हैं। हम अपने *समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता* देने के सपने को व्यवहार में सच नहीं कर सके हैं। हम अपने *समस्त नागरिकों की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता* को व्यवहार में लाने में सफल नहीं हुए हैं।

मेरा मानना है कि यह सपना शिक्षा के जरिये ही सच हो सकता है। अभी तक हमने शिक्षा में मूलतः व्यक्ति के रोजगार, आजीविका आदि पहलुओं पर ज्यादा जोर देकर काम किया है। अब समय आ गया है कि हम शिक्षा के जरिये संविधान की प्रस्तावना में लिखे सपने को सच करने के लिए पूरी ताकत से काम करें। इसकी शुरुआत हम इस गणतंत्र दिवस से कर रहे हैं।

आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी सभी पाठ्यपुस्तकों में संविधान की इस प्रस्तावना को विषय वस्तु से पहले शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य एकदम स्पष्ट है कि हम किसी भी क्लास में जो भी विषय पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, वो इस सपने को सच करने की दिशा में है। हमें गणित और विज्ञान भी इस सपने को ध्यान में रखकर पढ़ना-पढ़ाना है। इतिहास-भूगोल भी और हिंदी-अंग्रेजी भी इसी सपने को लक्ष्य रखकर पढ़ना-पढ़ाना है। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। हमने इसे किताबों में पहले पन्ने पर शामिल तो कर लिया परंतु कभी क्लास में इस पर चर्चा नहीं होती कि हम गणित, विज्ञान, भाषा साहित्य, इतिहास इत्यादि पढ़ने-पढ़ाने से पहले इस पर चर्चा या चिंतन करें कि इनकी पुस्तकों में शामिल पाठ्यक्रम का पहले पन्ने पर लिखे संविधान की प्रस्तावना से क्या संबंध है। लेकिन अब हम सब इस दिशा में काम करेंगे। आप सबको भी न सिर्फ इसमें अपने शिक्षकों का सहयोग करना है बल्कि आगे बढ़कर इस पर लगातार चर्चा करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शिक्षा के जरिये संविधान की प्रस्तावना में लिखे सपने को सच करने में हम जरूर कामयाब होंगे।

एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।


मनीष सिसोदिया